कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की त्रयोदश बैठक का कार्यवाही विवरण

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबन्ध मण्डल की त्रयोदश बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे प्रसार शिक्षा निदेशालय के कान्फ्रेन्स हॉल में प्रो. डी.सी. जोशी, माननीय कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निम्न सदस्य एवं आमंत्रित सदस्य उपस्थित हुए–

क0स0	उपस्थित सदस्य
1–	श्रीयुत एल.एन. सोनी, आई.ए.एस. सम्भागीय आयुक्त, कोटा सम्भाग, कोटा (प्रतिनिधि – वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर)
2–	डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर (प्रतिनिधि– उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर)
3–	डॉ. के.के. सिंह, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4–	श्रीयुत रामनारायण मीणा, माननीय विधायक, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
5–	प्रो. अय्यूब खान, प्रोफेसर, गणित विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
6–	श्रीयुत बजरंग कुमार साबू, प्रतिष्ठित उद्योगपति, तलवण्डी, कोटा
7–	श्रीमती रूकमणी मीणा, समाजसेविका, तलवण्डी, कोटा
8–	डॉ. आई.बी. मोर्या, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़
9–	डॉ. एस.के. जैन, निदेशक, मानव संसाधन विकास, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
10–	डॉ. एच.आर. चौधरी, प्रोफेसर, (एन्टमोलोजी), कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
11–	डॉ. प्रताप सिंह, निदेशक अनुसंधान, कृ॰ विश्व॰, कोटा – आमंत्रित सदस्य
12–	श्रीयुत रामधन रैगर, वित्त नियंत्रक एवं कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार), कृषि विश्वविद्यालय, कोटा –सदस्य सचिव

उक्त बैठक में प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग तथा सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर,, डॉ. डी.पी. जारोली, प्रख्यात शिक्षाविद्, जयपुर एवं श्रीयुत चौथमल नागर, प्रगतिशील किसान, रंगबाड़ी, कोटा उपस्थित नहीं हो सके। सर्वप्रथम श्री रामधन रैगर, सदस्य सचिव ने उपस्थित प्रबन्ध मण्डल के सद्रस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक की प्रथम बार अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रो. डी.सी. जोशी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया तथा माननीय कुलपति ने सभी आगन्तुक सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया।

माननीय कुलपति ने अपने प्रारम्भिक उद्बोधन में विश्वविद्यालय में अब तक हुए शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा के कार्यो एवं प्रगति की विस्तृत रूपरेखा रखते हुए डॉ. प्रताप सिंह, निदेशक अनुसंधान के स्लाइड शो के माध्यम से विश्वविद्यालय की मुख्य उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रो. जोशी ने विश्वविद्यालय के सामने उपस्थित विभिन्न कठिनाइयों का जिक्र करते हुए, प्रबन्ध मण्डल के सभी माननीय सदस्यों के ज्ञान एवं अनुभव का लाभ विश्वविद्यालय के विकास कार्यो की नीति निर्धारण में मिलता रहे, ऐसे सुझावों की अपेक्षा व्यक्त की।

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष की अनुमति से एजेण्डा बिन्दु क्रमवार प्रस्तुत किए गए।

बोम–13/2019/01: **नामित सदस्यों का स्वागत :**

प्रो. डी.सी. जोशी, माननीय कुलपति एवं प्रबन्ध मण्डल में नामित होकर प्रथम बार उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबन्ध मण्डल द्वारा हार्दिक अभिनन्दन किया गया तथा प्रो. (डॉ.) नीलिमा सिंह, पूर्व माननीय कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा किए गए सराहनीय कार्यो के लिए प्रबन्ध मण्डल ने उनका आभार व्यक्त किया।

बोम–13/2019/02: **दशम प्रबंध मंडल की दिनांक 01.02.2019 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।**

प्रबन्ध मण्डल की दशम बैठक दिनांक 01.02.2019 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 01–02–2019 को जारी किया गया था। चूँकि, कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, अतः कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

बोम–13/2019/03: दशम प्रबंध मंडल की दिनांक 01.02.2019 की बैठक के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 01.02.2019 को आयोजित दशम बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सर्वसम्मति से पालना रिपोर्ट की पुष्टि की गई।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

बोम–13/2019/04: एकादश प्रबंध मंडल की दिनांक 03.08.2019 एवं द्वादश प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 14.08.2019 की बैठकों के कार्यवाही विवरणों की पुष्टि करने बाबत।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 03.08.2019 एवं दिनांक 14.08.2019 को आयोजित एकादश एवं द्वादश बैठकों के कार्यवाही विवरणों की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। भविष्य में आयोजित होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठकों के एजेण्डा नियमानुसार समय पर प्रेषित किए जावें।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

बोम–13/2019/05: द्वादश प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 14.08.2019 की बैठक के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 14.08.2019 को आयोजित द्वादश बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

बोम–13/2019/06: त्रयोदश विद्या परिषद की दिनांक 16.07.2019 की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत।

विद्या परिषद की दिनांक 16–01–2019 को आयोजित त्रयोदश बैठक के कार्यवाही विवरण सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया । विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। "Exemption for paying fee, late fee, marksheet correction fee" आदि को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाया जावें।

(कार्यवाहीः निदेशक शिक्षा)

बोम–13/2019/07: बिल्डिंग (भवन) कमेटी की दिनांक 26.07.2019 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।

विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कमेटी की दिनांक 26.07.2019 की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया एवं सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

(कार्यवाहीः सम्पदा अधिकारी)

बोम–13/2019/08: **पंचम वित्त समिति की दिनांक 26.06.2019 की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत।**

वित्त समिति की पंचम बैठक का कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित बजट और वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट का अनुमोदन किया गया। साथ ही बजट के सभी पहलुओं को समझने हेतु बजट सम्बन्धी समस्त प्रपत्र सात दिवस में सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। इन प्रपत्रों पर प्रबन्ध मण्डल के सदस्यगण अपनी टिप्पणी दिनांक 30–11–2019 तक कुलसचिव को प्रस्तुत कर सकेगें। उक्त प्रपत्रों के समंको में यदि कुछ त्रुटि हो तो उन पर प्राप्त टिप्पणियों को वित समिति के समक्ष विचारार्थ भेजा जावें। आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में संज्ञान हेतु रखी जावें।

वित्त समिति के एजेण्डा बिन्दु–7 "Reallocation of income from private projects" को प्रबन्ध मण्डल ने पुनः विचार के लिए लौटा दिया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

बोम–13/2019/09: **कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटा की प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों की बिक्री के मूल्य का अनुमोदन बाबत।**

विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटा पर स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाई में तैयार किये जा रहे गुणवत्ता युक्त उत्पादों की दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उत्पादों की बिकी लागत रूपये 05.00 लाख या उससे अधिक हो तो प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किया जावें।

(कार्यवाहीः वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विस्तार केन्द्र, कोटा)

बोम–13/2019/10: **सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा अवधि में विस्तार करने बाबत।**

विश्वविद्यालय के विभिन्न इकाईयों द्वारा किये जा रहे कार्यो की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं रिक्त पदों पर नियमित कार्मिको की भर्ती में विलम्ब को संज्ञान में लेते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के कृषि विभाग के पत्रांक पत्र(3)(50)कृषि–3/2015 दिनांक 12–10–2015 की अनुपालना में प्रबन्ध मण्डल के निर्णय बोम–02/2016/09 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए–।।/94 दिनांक 11 जुलाई, 2017 के प्रावधानों के अनुसार रिक्त पदों के विरूद्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा पर की गई पुर्ननियुक्ति की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के उक्त आदेशों की समस्त शर्तों की अनुपालना की जावें।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

बोम–13 / 2019 / 11: **विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग का लाभ दिये जाने बाबत।**

विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों को दिये जाने वाले सातवे वेतन आयोग के लाभ कृषि (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.3(22)एग्री–3 / 2018 दिनांक 25.07.2019 द्वारा दिये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना की जावें।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

बोम–13 / 2019 / टेबल एजेण्डा 01 **माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णयानुसार दो सहायक प्राध्यापकों को कैरियर एडवांस स्कीम (सी.ए.एस.) परिलाभ पात्रता तिथि (ड्यू डेट) से देने बाबत।**

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णयानुसार कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के 24 सहायक प्राध्यापकों को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (सी.ए.एस.) परिलाभ विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ./ एयू/ कोटा/ स्था./ 2018/ 3222–37 दिनांक 18.06.2018 के तहत पात्रता तिथि (डयू डेट) से दिया जा चुका है। शेष समानान्तर सात प्रकरणों को राज्य सरकार की प्री–लिटीगेशन समिति के निर्णयानुसार एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के समान्तर इन शेष सात प्राध्यापकों को भी सी.ए.एस. परिलाभ पात्रता तिथि से देने के लिये विश्वविद्यालय की अष्टम प्रबन्ध मण्डल के समक्ष एजेण्डा आईटम बोम–08 / 2018 / विशिष्ट–01 दिनांक 25.06.2018 रखा गया था। इस पर प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों की राय थी कि राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर परिलाभ देवें एवं आगामी बैठक में रिपोर्ट करें। विश्वविद्यालय ने उपरोक्त प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिशानिर्देश चाहे थें। जिसका उत्तर आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।
इसी दौरान इन सात में से दो सहायक प्राध्यापक ने उपरोक्त प्रकरण को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में वाद दायर किया। फलस्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक एस.बी. सिविल रिट पिटिशियन क्रमांक 13507 / 2018 दिनांक 14.10.2019 के क्रम में दोनो सहायक प्राध्यापकों डॉ. मनोज कुमार शर्मा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा एवं डॉ. बच्चू सिंह, कृषि विज्ञान केन्द्र हिण्डौन (करौली) को भी कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (सी.ए.एस.) परिलाभ पात्रता तिथि से देने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार कर सर्व सम्मति से यह अनुमोदन किया गया कि डॉ0 मनोज कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज एवं डॉ0 बच्चू

सिंह, सहायक कृषि विज्ञान केन्द्र, हिण्डोन (करौली) को पात्रता तिथि से कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम (सी0ए0एस0) का परिलाभ देने सम्बन्धी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ के सिविल रिट याचिका कमांक 13507/2018 के निम्नाकिंत आदेश –

"In view of the submissions made by learned counsel for the parties, the present writ petition is also disposed of with similar directions as given in the case of Dr. Pokhar Rawal (Supra), wherein it was directed as under :-
In view thereof, the writ petition is disposed of and it is expected of the respondent University to decide representation of the petitioner as expeditiously as possible, preferably within a period of six weeks from the date of receipt of certified copy of this order."

को विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से परीक्षण करवाया जाकर निर्णय लिया जावें कि क्या विश्वविद्यालय उक्त आदेश से सहमत है अथवा उच्चतर न्यायालय में अपील करना चाहता है। यदि, उक्त आदेश की पालना का निर्णय लिया जाता है तो इनके अभ्यावेदनों पर उचित निर्णय लिया जाकर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इसे रिपोर्टिंग आइटम की सूची में सम्मिलित किया जावें।

बैठक के समापन से पूर्व प्रबन्ध मण्डल के सभी माननीय सदस्यों ने संभाग एवं राज्य के किसानों, विद्यार्थियों एवं सम्बन्धित उद्योगों के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा दिए जाने वाले योगदान को बढ़ाने हेतु विचार रखें।

अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त की गई।

(डॉ. डी.सी. जोशी)
कुलपति
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

(ममता तिवाड़ी)
कुलसचिव
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा